न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 31 / 2021 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021 / 6
दायर दिनांक :– 12.02.2021 निर्णय दिनांक :– 28.10.2024

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

1. राणाराम पुत्र माधोराम
2. खेताराम पुत्र माधोराम
3. गुड्डी पुत्री माधोराम
4. भंवरी पुत्री माधोराम

जाति सुथार नि0 सादा
त.पोकरण जिला जैसलमेर

श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:– 1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप जिला जोधपुर के खते खसरा नम्बर 846 रकबा 369–00 बीघा स्थित है। उक्त काश्त भूमि को वाद पत्र में आगे **''वादग्रस्त भूमि''** सम्बोन्धित किया जायेगा। जमाबंदी संवत 2073–2076 संलग्न वाद पेश है। वक्त भू–प्रबन्ध के अधिकारियों द्वारा पहले खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार मोमीट्रेस नक्शे तैयार किये गये और उसके बाद मोमीट्रेस नक्शा के आधार पर खतौनी बन्दोबस्त तैयार की गई। इसी प्रकिया अनुसार वक्त भू–प्रबन्ध भू–प्रबन्धक अधिकारियों द्वारा ग्राम टेकरा का मोमीट्रेस नक्शा खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार ही तैयार किया गया। ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा के खसरा नम्बर 846 रकबा 369–00 बीघा भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त था, वादीगण तथा के पूर्वजों के कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बर 846 का मोमीट्रेस नक्शा तैयार किया गया जिसका रकबा 369–00 बीघा है। लेकिन भू–प्रबन्धक अधिकारियों के द्वारा खसरा नम्बर 846 की खतौनी बन्दोबस्त तैयार की लेकिन खतौनी बन्दोबस्त तैयार करते समय गलती से खसरा नम्बर 846 का रकबा 369–00 के स्थान पर सरासर गलत तरीके से एवं मोमीट्रेस नक्शा से कम रकबा 153–06 बीघा दर्ज कर दिया। जबकि वक्त भू–प्रबन्ध से लेकर आज दिन तक वादीगण के पूवेजों का तथा उनके फौत होने के पश्चात वादीगण का रकबा 369–00 बीघा भूमि पर ही कब्जा व काश्त [illegible] तथा ने खसरा नम्बर 846 रकबा 369–00 बीघा भूमि पर तारबन्दी कर [illegible] ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 846 रकबा [illegible] रेकर्ड को [illegible] कर खसरा नम्बर 846 का सही एवं वास्तविक रकबा 369–00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज के अधिकारी है। उक्त बढोतरी रकबा 215–14 बीघा भूमि पर वादीगण के पूर्वज का अपने जीवन काल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:54 IST
Reason: SelfAttested

28.10.24

तक कब्जा व काश्त रहा और उनके फौत होने के बाद वर्तमान में वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण की उक्त बढोतरी रकबा 215–14 बीघा भूमि पर अपनी अलग–अलग रहवासीय मकान, पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा उक्त रहवासी मकान में वादीगण वादीगण अपने–अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है और हर वर्ष बरसात के समय उक्त भूमि पर काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। इसलिये वादीगण ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 846 रकबा 153–06 बीघा के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 846 का सही एवं वास्तविक रकबा 369–00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा कर बढोतरी रकबा 215–14 बीघा भूमि अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि खसरा नम्बर 846 रकबा 153.06 बीघा भूमि ग्राम मशाला पटवार हल्का टेकरा में स्थित है जबकि खसरा नम्बर 846 का भू–नक्शा का रकबा 369.00 बीघा है, जो मोमी ट्रेस नक्शा एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रमाणित है और वादीगण का उक्त बढोतरी रकबा 215.14 बीघा भूमि पर कब्जा व काश्त एवं ढाणियों वगैरा बनी हुई है जो तथ्य भी रिपोर्ट से भी प्रमाणित है। खसरा नम्बर 846 रकबा 153.06 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 846 का सही व वास्तविक रकबा माफिक मोमी ट्रेस नक्शा व रिपोर्ट अनुसार कुल रकबा 369.00 बीघा किया जावे एवं खसरा नम्बर 846 में बढोतरी रकबा 215.14 बीघा वादीगण के नाम दर्ज की जावे। जिससे किसी प्रकार का राज हित प्रभावित नहीं होता है। वादी संख्या 2 खेताराम पुत्र माधोराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया एवं इनके बयान पी–डब्लू–1 कलमबद्व किये गये, पड़ोसी खातेदार मुन्ताज खां के बयान पी.डब्लू–2 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण की सामलाती खातेदारी की भूमि ग्राम मशाला पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 846 रकबा 369.00 बीघा के रूप में स्थित है, उक्त भूमि पर पूर्व में वादीगण के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व रकबा 369.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 846 की खतौनी बंदोबस्त तैयार करते समय रकबा 369.00 बीघा के स्थान पर 153.06 बीघा दर्ज कर दिया गया जबकि नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि का रकबा 369.00 बीघा किया हुआ है और मौके पर वादीगण का 369.00 बीघा भूमि पर क[illegible]ला आ रहा है इसलिये वादीगण खसरा नम्बर 846 के राजस्व रेकर्ड ज[illegible] रकबा 153.06 बीघा के स्थान पर माफिक नक्शा ट्रेस अनुसार 369.00 बी[illegible] जावे। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रक[illegible] :– (01) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर आर.आर.टी. 2013(1) उदयलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य पेज संख्या 391, (02) आर.आर.टी. 2013(1) हरिनारायण व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य पेज संख्या 226 की नजीरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर कथन किया कि सेटलमेंट के समय में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों को दुरूस्त करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किये हुवे है तथा सेटलमेंट के समय राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात में रही त्रुटियों को दुरूस्त करने में उखण्ड अधिकारी सक्षम है।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम मशाला पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 846 रकबा 153.06 बीघा भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज थी, जो जमाबंदी से साबित है लेकिन उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस में रकबा 369.00 बीघा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से 215.14 बीघा कम है जो तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है इस प्रकार खसरा नम्बर 846 का मोमी ट्रेस नक्शा में मूल रकबा 215.14 बीघा अधिक दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब से भी साबित है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय 2013(1) आर.आर.टी पेज संख्या 391 उदयलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं आर.आर.टी 2013(1) पेज संख्या 226 हरिनारायण व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू होता है। पटवारी हल्का ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि वादीगण से बढोतरी रकबे की लगान राशि प्राप्त की जावे। तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में भी कथन किया है वादीगण के वाद का निस्तारण साक्ष्य सनुवाई एवं गुणावगुण पर किये जाने पर एतराज नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मशाला पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 846 का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत रूप से दर्ज रकबा 153.06 बीघा को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 846 का रकबा 369.00 बीघा माफिक नक्शा ट्रेस राजस्व रेकर्ड जामाबंदी में दर्ज किया जावे एव बढोतरी रकबा 215.14 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि (अगर बढोतरी रकबे की राजस्व मांग बकाया न हो तो) माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:54 IST
Reason: SelfAttested

28.10.24

सुखाराम पिण्डेल (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. राणाराम पुत्र माधोराम 2. खेताराम पुत्र माधोराम 3. गुड्डी पुत्री माधोराम 4. भंवरी पुत्री माधोराम जाति सुथार नि0 सादा त.पोकरण जिला जैसलमेर		श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा संख्या :– 31/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम मशाला पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 846 का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत रूप से दर्ज रकबा 153.06 बीघा को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 846 का रकबा 369.00 बीघा माफिक नक्शा ट्रेस राजस्व रेकर्ड जामाबंदी में दर्ज किया जावे एव बढोतरी रकबा 215.14 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि (अगर बढोतरी रकबे की राजस्व मांग बकाया न हो तो) माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक   बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर   फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक   को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.10.2024 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)
28.10.24
(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:54 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत [illegible]		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।